State Council of Educational Research & Training Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2023–24 /14288 रायपुर दिनांक 24/11/2023

डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम 2023–24 द्वितीय चरण के आबंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण आबंटन प्रक्रिया (प्रतीक्षा सूची) की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश परिषद् द्वारा प्री डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार दो चरण में किया गया है। दूसरे चरण के पश्चात् राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरूद्ध अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया व प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार जारी किया जाना है :–

क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड./डी.एल.एड./बी.ए.बी.एड. व बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए
		दिनांक से दिनांक तक
1	पूर्व चरणों में दिए एक विकल्प के आधार पर तीसरी सूची जारी करना	04.12.2023 को
2	जारी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	04.12.2023 से 06.12.2023 तक
3	पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर चौथी सूची जारी करना	07.12.2023 को
4	जारी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	08.12.2023 से 11.12.2023 तक
5	प्रतीक्षा सूची जारी करना (1:5 में)	12.12.2023 को
6	प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा एक महाविद्यालय के लिए अपने लॉगइन में जाकर सलेक्ट करने की तिथि तथा आवेदन की प्रिन्ट संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेजों के साथ जमा करने की तिथि	13.12.2023 से 14.12.2023 को दोपहर 2 बजे तक
7	**महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करने की तिथि व समय**	**15.12.2023 को दोपहर 2 बजे**
8	महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को आनलाइन अपडेट करना।	19.12.2023 तक

अन्य निर्देश निम्ननुसार है :–

1. तीसरी एंव चौथी सूची अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प फार्म में दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार जारी किया जायेगा। अर्थात छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006, डी.एड. प्रवेश नियम 2008 व बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के आवेदन Active है उन्हीं अभ्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा
2. प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में विकल्प फार्म जमा किया था एवं जिन्हें दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आबंटित नही हुआ है उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आबंटित हुई थी परन्तु उन्होंने प्रवेश नही लिया व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात् महाविद्यालय आबंटित नही हुआ है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3. किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आबंटन प्रक्रिया/प्रतीक्षा सूची में नही आयेगा।
4. जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे एवं चौथी सूची में आयेगा उन्हें आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
5. उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होवें कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन Active है उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा।
6. महाविद्यालयवार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री.परीक्षा 2023 के प्राप्तांक व अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर रिक्त सीटों के 1:5 अनुपात पर जारी किया जायेगा अर्थात् यदि दो सूची जारी करने के बाद किसी महाविद्यालय में दो सीट्स रिक्त है तो प्रतीक्षा सूची में 10 छात्रों के नाम आयेगा।
7. प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम कई महाविद्यालय में आयेगा, उनमें से जिस महाविद्यालय के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है व जहाँ अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय अर्थात् एक महाविद्यालय का विकल्प अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने लॉगइन में जाकर सलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद एक पर्ची प्राप्त होगा जिसका प्रिन्टआउट लेकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अभ्यर्थी को उस महाविद्यालय में आवेदन जमा करना होगा। प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थी किसी एक महाविद्यालय का ही विकल्प ले सकता है।
8. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित महाविद्यालय से पावती प्राप्त करें। महाविद्यालय भी आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध करावें। महाविद्यालय का पावती उपलब्ध नही करने पर ई–मेल support.slcm@cgchips.in एवं 7470470609 पर व्हाटएप पर हस्तलिखित आवेदन सहित सूचित करें।
9. महाविद्यालय प्राप्त वैघ आवेदनों का व्यापम द्वारा आयोजित प्री.परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनायेगा।
10. महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को मेरिट क्रम जारी करना आवश्यक होगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी के वर्ग एवं संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में सूचना पटल पर मेरिट सूची चस्पा करना आवश्यक होगा। महाविद्यालय को सूचना पटल पर मेरिट जारी किया है इसका प्रमाण विडियो एवं फोटोग्राफ रखना होगा।
11. प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी किसी एक महाविद्यालय के लिए अपना आवेदन देगे तथा जिस महाविद्यालय के लिए आवेदन किया है उस महाविद्यालय में चयन सूची (मेरिट सूची) जारी करने के लिए निर्धारित दिवस व निर्धारित समय में उपस्थित रहेगे। महाविद्यालय उपस्थित अभ्यर्थियों से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायेगे। यदि निर्धारित समय व तिथि में अभ्यर्थी उपस्थित नही होगे तो महाविद्यालय अगले क्रम में छात्रों को प्रवेश दे सकेगे। प्रवेश प्रक्रिया का विडियो एंव फोटोग्राफ के रूप में प्रमाण रखना होगा।
12. महाविद्यालय प्रवेश लेने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों का परीक्षण करें –
    i. स्नातक/स्नातकोतर की अंकसूची।
    ii. यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है तो जाति प्रमाण पत्र
    iii. छ.ग. का अभ्यर्थी है तो निवास प्रमाण पत्र
    iv. जन्म प्रमाण पत्र (10वीं का अंकसूची)
    v. प्री परीक्षा का अंकसूची
    vi. काउसंलिंग प्रपत्र
13. ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का आबंटन पत्र जारी होगा।
14. प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है एवं उस अभ्यर्थी ने प्रतीक्षा सूची में जिस एक महाविद्यालय का चुनाव किया तथा वहाँ आवेदन ऑफलाइन जमा किया है उस महाविद्यालय में उस अभ्यर्थी का नाम महाविद्यालय द्वारा जारी प्रावीण्य सूची में आयेगा। इस कारण संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि व समय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसी प्रावीण्य सूची में से उपस्थित अभ्यर्थियों से अभ्यर्थियों को प्रवेश महाविद्यालय देगा।

Scanned by CamScanner

15. मेरिट अतिक्रमण की शिकायत होने पर संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतीक्षा सूची से प्रवेश उक्त महाविद्यालय के लिए निरस्त भी किया जा सकेगा। परिषद् में शिकायत करते समय निर्धारित प्रारूप में जमा किये गये आवेदन की पावती की छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

16. शेष नियम शर्ते पूर्ववत ही रहेंगे।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(जे.पी.रथ)
अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक–शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30–1/प्रवेश/2023–24 4289 रायपुर दिनांक 24/11/2023
प्रतिलिपि –

1. सचिव, छ.ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. कुलसचिव, ... विश्वविद्यालय .... को सूचनार्थ।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सूचनार्थ।
4. सर्व सूचनार्थ।

अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

Scanned by CamScanner